

अधिसूचना

विषय:- कार्मिक विभाग के अवर लिपिक ग्रेड पे 1900/- लेवल-02 से प्रवर लिपिक ग्रेड पे 2800/- लेवल-05 के रिक्त पदों को भरने हेतु सुयोग्यता परीक्षा के संबंध में।

वाराणसी मण्डल के कार्मिक विभाग में लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति कोटा के विरुद्ध प्रवर लिपिक ग्रेड पे 2800/- (लेवल-05) के कुल 20 रिक्त पदों सा0-15, अजा-02, अजजा-03 को निर्धारित वरीयता सह सुयोग्यता परीक्षा महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के पत्र सं0 NER-HQOPERS(POLI)/35/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER (Computer No: 131506) दिनांक 11.11.2025 के द्वारा CBT के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है, जिस संबंध में परीक्षा तिथि एवं स्थान मुख्यालय, गोरखपुर के निर्देशानुसार निर्धारित की जाएगी। वरीयता सह सुयोग्यता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अवर लिपिक ग्रेड पे 1900/- (लेवल-02) में उपलब्ध मात्र 09 पात्र कर्मचारियों की वरीयता कम के अनुसार सूची निम्नवत है-

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम सर्वश्री / श्रीमती	पद व ग्रेड पे / लेवल	कार्यस्थल
01	दीपक कुमार मिश्रा	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
02	अनिल कुमार केशरी	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
03	राहुल कुमार	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
04	अंकुर कुमार रजक	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
05	निलेश कुमार सिंह	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
06	मनीष कुमार	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
07	अमित कुमार पाण्डेय	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
08	प्राची कुमारी	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी
09	राकेश कुमार	अवर लिपिक / ग्रेड पे 1900 (लेवल-02)	मरेप्र (का0) / वाराणसी

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG) 2018/PM/1/9 दिनांक 14.12.2018 (आरबीई 195/2018) एवं महाप्रबंधक (कार्मिक) गोरखपुर के पत्र सं0 का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/चार/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार पदोन्नति परीक्षा को सरल बनाने एवं शीघ्र निस्तारण हेतु 100 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। परीक्षा में कुल 110 प्रश्न एवं कुल समय 90 मिनट निर्धारित है। निर्धारित पूर्णांक का 10 प्रतिशत प्रश्न राजभाषा (जो विकल्प के तौर पर) से संबंधित होंगे, जिसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.06.2020 के अनुसार इस परीक्षा में नकारात्मक (Negative) अंक नहीं काटे जायेंगे। आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कोई नियम इस अधिसूचना में अनजाने में छोड़े गए हो तो उन्हें वैध एवं सक्रिय माना जाएगा।

चूंकि परीक्षा CBT के माध्यम से कराया जाना है इसलिए परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसी घड़ी, कैलकुलेटर, ईयरफोन तथा बैग इत्यादि साथ लाना वर्जित है।

संलग्नक- पाठ्यक्रम


सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी
दिनांक- 13.11.2025

सं.-का/प्र/210/लिपिक/लूज/2024

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक (कार्मिक), गोरखपुर
2. महाप्रबंधक (सर्तकता), गोरखपुर
3. वमकाधि/वाराणसी एवं सकाधि
4. मुकार्याधि/कार्मिक कैंडर
5. मण्डल मंत्री मेंस कांग्रेस/अजा एवं अजजा, ओबीसी एसो0 वाराणसी

कृते मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

1505985/2025/O/o SPO/HQ/HQ/NER

**SYLLABUS FOR SELECTION TO THE POST OF SENIOR CLERK IN
LEVEL-5 AGAINST 66 2/3% DPQ QUOTA**

1	Organizational Structure of Ministry of Railways at Railway Board, Zonal Railway, Divisional/Unit levels.
2	Office Procedure (a) Management of DAK and Receipts. (b) File Management (c) Records Management including records retention Schedule. (d) Classification of documents and handling of classified documents. (e) Dealing of VIP, MP, MLA and CA-III references.
3	Forms of communications a) Letter/DO writing b) Notifications c) Writing Noting on files.
4	Award of Works in Works Programme.
5	Procedure for Stores Procurement(including through GeM).
6	Statutory Audit/Accounts Inspection Notes, Draft Paras.
7	Standards of financial propriety.
8	Railway Housing(Railway Quarters allotment)Policy.
9	Discipline & Appeal Rules and conduct rules.
10	Medical examination and Medical facilities available to Railway employees.
11	Man Power Planning – Vacancy Bank, Creation of Posts, Benchmarking, Supernumerary Posts, redeployment of surplus staff, redistribution of posts& Training.
12	Recruitment, Selection & Suitability, Seniority, grant of MACPs benefit and APAR
13	Pay and Allowances.
14	Pass rules.
15	Leave rules.
16	Railway Pension Rules (OPS, NPS& UPS).
17	Railway Servants (Hours of Work&Period of rest) Rules, 2005.
18	Staff Benefit Fund
19	Model Schedule of Powers.
20	Right to Information Act 2005
21	Official Language Policy, Act and rules.
22	Recognition and facilities to Trade Union/Associations
23	CPGRAM, HRMS, E-office, UMID

Note-1: Questions set in the paper will be normally to assess the understanding of the candidates w.r.t. various topics as above which various ministerial staff are required to know.

Note-2 :10% of the total marks will be from Official Language Policy, Act and rules which will be optional.

66 2/3% डिपार्टमेंटल (डीपीक्यू) कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिक (लेवल-5) के पद पर चयन के लिए पाठ्यक्रम

1	रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, मण्डल/इकाई स्तरों पर रेल मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना।
2	कार्यालय की प्रक्रिया (क) डाक और प्राप्तियों (रसीद) का प्रबंधन (ख) फाइल प्रबंधन (ग) अभिलेख प्रबंधन, जिसमें अभिलेख संरक्षण अनुसूची भी शामिल है। (घ) दस्तावेजों का वर्गीकरण और गोपनीय दस्तावेजों का प्रबंधन। (ङ) वीआईपी, एमपी, एमएलए और सीए-।।। संदर्भों का निपटान।
3	संचार के रूप (क) पत्र लेखन/कार्यालय लेखन (ख) अधिसूचनाएँ (ग) फाइलों पर टिप्पणियाँ लिखना
4	कार्य योजना में कार्यों का आवंटन।
5	भण्डार खरीद की प्रक्रिया (GeM के माध्यम से भी)
6	वैधानिक लेखा परीक्षा/लेखा निरीक्षण नोटिस ड्राफ्ट पैरा
7	वित्तीय औचित्य के मानक
8	रेलवे आवास (रेलवे आवास आवंटन) नीति
9	अनुशासन एवं अपील नियम तथा आचरण नियम
10	रेलवे कर्मचारियों के लिए चिकित्सा जाँच और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है।
11	मानव शक्ति नियोजन- रिक्ति बैंक, पदों का सृजन, बेंचमार्किंग, अतिरिक्त पद, सरप्लस कर्मचारियों की पुनर्नियोजन, पदों का पुनर्वितरण एवं प्रशिक्षण।
12	भर्ती, चयन और उपयुक्ता, वरिष्ठता, एमएसीपी का लाभ और एपीएआर का अनुदान
13	वेतन एवं भत्ते
14	पास नियम
15	छुट्टी नियम
16	रेलवे पेंशन नियम (ओपीएस, एनपीएस तथा यूपीएस)
17	रेलवे कर्मचारी (कार्य के घण्टे एवं विश्राम अवधि) नियम-2005
18	कर्मचारी लाभ निधि
19	मॉडल एमएसओपी (शक्तियों की मॉडल अनुसूची)
20	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
21	राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम
22	ट्रेड यूनियन/एसोसिएशनों को मान्यता और सुविधाएं
23	सीपीग्राम, एचआरएमएस, ई-आफिस और यूएमआईडी

नोट :- 1) प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न सामान्तः विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होंगे, जिन्हें कर्मचारियों को जानना आवश्यक है।

2) कुल अंकों का 10% अंक राजभाषा नीति, अधिनियम और नियमों से होगा, जो वैकल्पिक होगा।
